पंजीकृत

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर

सेवा में,

जगरोशन पब्लिक स्कूल जंगल हरपुर भटहट जनपद – गोरखपुर

पत्रांक : बे०शि०प०/आख्या/ २०१-६९ २०२०–२१

दिनांक : 16/09/2020

विषय ः जगरोशन पब्लिक स्कूलए गोरखपुर के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण। महोदय,

आपके आदेश पत्रांक : मेमो/2019 –20 दिनांक 02/09/2020 के अनुपालन में सादर अवगत कराना है की **आदित्य पब्लिक स्कूल झंगहा गोरखपुर** को पत्रांक 582–83 C-242/ 2016 दिनांक 29/04/2016 द्वारा अस्थायी 'ब' श्रेणी की मान्यता प्रदान की गई है । शासनादेश संख्या 418/79–6–2013–18 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा वर्णित है की कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं आता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात यह मान लिया जाएगा की विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है, के आलोक में जगरोशन पब्लिक स्कूल गोरखपुर वर्तमान में ठीक प्रकार से संचालित हो रहा है। अतः उपरोक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य जगरोशन पब्लिक स्कूल गोरखपुर
- 2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
- 3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर.

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला- गोरखपर, उ०प्र०)

संख्यांक/निरीक्षण/582. 8 १ तारीख २१/०५/०/6 /2016-17 য়ৰন্যক.

जगरोशन पब्लिक जुछहाएस्कूल

जंगल हरपुर भटहट गोरखपुर

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशत्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पन्न।

महोदय / महोदया.

आपके तारीख 30.08.15 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै जगरोशन पब्लिक जु0हा0स्कूल जंगल तरपुर मटहट गौरखपुर को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जुछहाछस्कुल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसचना देता हैं।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यवीन है :--

1-मान्यता की मंजरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के परण्यात मान्यता / ' संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3-विद्यालग कसा 1 में (या यथारिथति नर्सरी कसा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके परा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की घारा 12 की उपवारा (2) के उपबंचो के अनुसार प्रतिपुरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शत्क का संग्राहण नहीं करेगा और किसी बालक था उसके माला-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6--विद्यालय किसी बालक को उसकी आय का सबत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सनिष्टिचत करेगा :

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में कुछेकी प्राथमाई⁰शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय में निष्तुर्वे किया किया काएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या नालसिक, इत्सीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पुरी होने तक किसी के बार्लिक से क्रेंचेई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। Jung Clarger Bashat Gunstin Jugrostian Public It High नहीं की जाएगी।

leaven Ga Khairabed

Sara Van Sand

Posta Public

Jagroshan Public Jr High School Manager Jungis Harpur Bhathat, Gorakhpur (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को ग्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की घारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है. और

(via) आध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा। 8—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

> विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 45000 वर्गफीट

> कल निर्मित क्षेत्र - 5000 वर्गफीट

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल -10000 वर्गफीट उपलब्ध है।

🗲 कक्षाओं की संख्या – 10 उपलब्ध है।

> प्राध्यापक-सह- कार्यालय-सह- मंडागार के लिए कदा- उपलब्ध है।

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – सपलबा है।

पेयजल स्विधा – उपलब्ध है

मंत-डे-मिल प्रकाने के लिए रसोई- उपलबा

वाधारहित पहेंच – उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुरसकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है। 9--विद्यालय की कक्षाओं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर--मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

10—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम. 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

11-स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समुह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

12-विद्यालय के लेखाओं को किसी वार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उपनिधवामिय प्रमाणित किया जाना वाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार। सिर्फ़रकालेव वासिये। 1 ना School प्रत्येक लेखा तिवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को मेजी जानी जिसिये bad, M.Badibonna-Mau 13-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड C-242/2016 है, कप्रया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग 14-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है Mit समय समय प्रत क्रियों के जिला शिक्षा

14-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जा। समय-समय पर स्वक्ता जवशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता

Jugroshan Public Jr High School Jurgle Harpur Bhathat, Gorakhpur

है. जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सत्त अनुपालन को सुनिष्टिवत करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

15—सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये। 16—गिश्वकों / कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूश्हारस्कूल) (अध्यापाकों की मर्ती और सेवा की शतें) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

17-जिस विद्यालय भवन पर लक्त मान्यता प्रदान की जा रही है जस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी सान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

18—मान्यता आगेटन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण-पत्र में जिन कवाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण-पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(ओ०पी०कदव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर 🕖

पृ0सां0-संख्याक/निरीक्षण/ /2016-17 तददिनांक प्रतिलिपि- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

> जिला बेसिक किसा अधिकारी गोरखपुर

Princhak Heaven Garden Ir High School Khairabad, M.Bad Gohna-Mau

Jagroshan Public Fr High School Jongie Harper Blactar Consistent

Jugroshan Public Ir High School Jungie Harpur Bhathat, Gorakhpur